प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 02328/2020-2021

दिनांक 22/03/2021

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/VAR/19271/2020-2021 पत्रावली संख्या:V-18334 दिनांक:1995-1996

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **तोमर शिक्षा समिति, मकान नं0 शि0 15/11 क 5ए, सुद्धीपुर, शिवपुर, जिला वाराणसी, बनारस, 221003** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 986/1995-96 दिनांक-20/02/1996 को दिनांक-20/02/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।
1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(YOGESH CHANDRA TRIPATHI)
36C7B82300AB23E1B5B4ADB4A0050C19FC523A42
Date: 22/03/2021 3:27:30 PM, Location: Varanasi.

जारी करने का दिनांक-22/03/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

Manager
Tomar Children Schoo
Sudhipur Shivapur Baipass
Varanasi.

K. Singh
Principal
Tomar Children School
Shivpur bypass, Varanasi

संख्या – 5493 दिनांक 17.2. 2016

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण–पत्र

नवीकरण संख्या –2283/2015–16

फाइल संख्या V - 18334

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि तोमर शिक्षा समिति, मकान नं0 शि0 15/11 क 5ए, सुद्धीपुर, शिवपुर बाईपास, जिला वाराणसी। को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संख्या – 986/1995–96 दिनांक 20–02–1996 को दिनांक 20–02–2016 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1000/– रूपये की नवीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 17–02–2016

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

K. Singh
Principal
Tomar Children School
Shivpur bypass, Varanasi

Manager
Tomar Children School
Shivpur By Pass Road
Varanasi

K. Singh
Principal
Tomar Children School
Shivpur bypass, Varanasi

Rajesh Kumar Singh
Manager
Tomar Children School
Sudhipur Shivapur Baipass
Varanasi.

संस्था द्वारा सिर्फ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत होने के आधार पर ऐसे पाठ्यक्रमों का न तो संचालन किया जायेगा और न ही किसी उपाधि पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। जिसका संचालन राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित बोर्डो/विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। पंजीकृत संस्थाओं को ऐसा करने के पूर्व राज्य सरकार/भारत सरकार से विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(शासनादेश संख्या 1663/सत्तर-1-09, उच्च शिक्षा अनुभाग-1 दिनांक 06 अगस्त 2009 एवं रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0 1250-1262/लखनऊ दिनांक 28-8-2009 के अनुपालन में)

K. Singh
Principal
Tomar Children School
Shivpur bypass, Varanasi

Manager
Tomar Children School
Sudhipur Shivapur Baipass
Varanasi.

5 R$

INDIA

पाँच रुपये | पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

यह जनरल स्टैम्प पेपर [illegible]

जनपद [illegible]

फाईल नं० [illegible]

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी
14/7/13

K. Singh
Principal
Tomar Children School
Shivpur bypass, Varanasi

श्रीमती शान्ती देवी
CHAIRMAN
Tomar Children School
Sudhipur Shivapur Baipass
VARANASI

Rajesh Kumar Pal
Manager
Tomar Children School
Sudhipur By Pass Road
Varanasi

K. Singh
Principal
Tomar Children School
Shivpur bypass, Varanasi

Rajesh Kumar Pal
Manager
Tomar Children School
Sudhipur Shivapur Baipass
Varanasi

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 16AA 276430

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] सहायक निरीक्षक
[illegible] एवं [illegible]
वाराणसी

K. Singh
Principal
Tomar Children School
Shivpur bypass, Varanasi

Rajesh Kumar [illegible]
Manager
Tomar Children School
Shivpur By Pass Road
Varanasi

K. Singh
Principal
Tomar Children School
Shivpur bypass, Varanasi

Rajesh Kumar [illegible]
Manager
Tomar Children Schoo
Sudhipur Shivapur Baipass
Varanasi.

स्मृति-पत्र

1- संस्था का नाम :- तोमर शिक्षा समिति।

2- संस्था का पता :- म0नं0 सि0 15/11क-5ए, सुधीपुर, शिवपुर बाईपास,
जिला- वाराणसी 30901

3- संस्था का कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

4- संस्था का उद्देश्य :- संस्था का निम्नलिखित उद्देश्य होगा :-

(1) बालक-बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिये नर्सरी, प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट विद्यालय की स्थापना करना तथा उसे संचालित करना।

(2) हिन्दी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था करना।

(3) नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं का समुचित व्यवस्था करना।

(4) छात्र-छात्राओं को रहने के लिये छात्रावास आदि की व्यवस्था करना।

(5) ज्ञान-विज्ञान, भौतिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं बौद्धिक शिक्षा प्रदान कर एक सुयोग्य नागरिक बनाना।

(6) अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के बालक-बालिकाओं को [illegible] विशिष्ट निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना तथा छात्रवृत्ति आ[illegible] से सुविधायें उपलब्ध करना।

(7) [illegible] कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना।

(8) बालक-बालिकाओं को राष्ट्र के प्रति जागरूक करना।

(9) पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि की व्यवस्था करना।

5- प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है।

---- 2 पर

Manager
Tomar Children School
Shivpur By Pass Road
Varanasi

Principal
Tomar Children School
Shivpur bypass, Varanasi

Manager
Tomar Children Schoo
Sudhipur Shivapur Baipass
Varanasi.

-2-

क्र०सं० नाम	पता	पद	व्यवसाय
1- श्रीमती शान्ति देवी पत्नी बाँके सिंह	ग्राम व पो० बझरी जागीर, बलिया	अध्यक्ष	गृहिणी
2- श्री परमेश्वर सिंह पुत्र स्व०तुलेश सिंह	ग्राम व पो० करमानपुर, बलिया	उपाध्यक्ष	कृषि
3- " राकेश कुमार सिंह पुत्र श्री बाँके सिंह	ग्राम व पो० बझरी जागीर, बलिया	प्रबंधक	"
4- " अभिषेक कुमार सिंह पुत्र श्री बाँकेसिंह	" "	उपप्रबंधक	"
5- " अविनाश कुमार सिंह पुत्र बाँके सिंह	"	मंत्री	"
6- कु० अमिता सिंह पत्नी अभयकुमार सिंह	[illegible] 16/56 ई-1 कादीपुर [illegible] शिवपुर वाराणसी	आय-व्यय	गृहिणी
7- कु० अर्चना सिंह पुत्री बाँके सिंह	ग्राम व पो० बझरी जागीर, बलिया	कोषाध्यक्ष	कृषि
8- श्री गिरिजाशंकर पुत्र दुरबीन	" "	सदस्य	नौकरी
9- श्रीमती रंजना सिंह पत्नी अजिनी कुमार सिंह	ग्राम सुल्तानपुर, पो० सुखपुरा, बलिया	"	"
10 - श्री वैद्यनाथ पुत्र पुत्र काशीनाथ	ग्राम पो० बझरी जागीर, बलिया	"	कृषि
11- श्रीमती अलका सिंह पत्नी राकेश सिंह	मो० रामपुर, प्रतापगढ़	"	गृहिणी
12- श्री राणाप्रताप सिंह पुत्र महातिम सिंह	ग्राम व पो० करमानपुर, बलिया	"	नौकरी
13- " राकेश सिंह स्व०वीरेन्द्र सिंह	[illegible] प्रतापगढ़	"	"
14- परितोष राम पुत्र श्री परशुराम	ग्राम व पो० बझरी जागीर, बलिया	प्रतिनिधि कर्ता	[illegible]

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स, उ० प्र०, वाराणसी

K. Singh
Principal
Tomar Children School
Shivpur Bypass, Varanasi

Rajesh Kumar Singh
Manager
Tomar Children School
Shivpur By Pass Road
Varanasi

K. Singh
Principal
Tomar Children School
Shivpur bypass, Varanasi

Rajesh Kumar Singh
Manager
Tomar Children School
Shivpur Shivapur Baipass
Varanasi.

6- हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था को उपरोक्त स्मृतिपत्र के अनुसार सोसाइटीज एक्ट 21 सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं।

क्र० सं० नाम	पता	हस्ताक्षर
1- शान्ति देवी	ग्राम व पो० बहुआरी जागीर, बलिया	श्रीमती शान्ती देवी
2- परमेश्वर सिंह	ग्राम व पो० करमानपुर, बलिया	परमेश्वर सिंह
3- राकेश कुमार सिंह	ग्राम व पो० बहुआरी जागीर, बलिया	राकेश कुमार सिंह
4- अभिषेक कुमार सिंह	" "	अभिषेक कुमार सिंह
5- अविनाश कुमार सिंह	" "	अविनाश कुमार सिंह
6- कु० अमिता सिंह	मकान नं० 16/584-1 आदोपुर, शिवपुर वाराणसी	अमिता सिंह
7- कु० अर्चना सिंह	ग्राम व पो० बहुआरी जागीर, बलिया	अर्चना सिंह
8- गिरिजा शंकर [illegible]	" "	
9- रंजना सिंह	हुल्तानपुर पो० [illegible], बलिया	रंजना सिंह
10- वैजनाथ	ग्राम व पो० बहुआरी जागीर, बलिया	वैजनाथ
11- अलका सिंह	मो० रामबाग, प्रतापगढ़	अलका सिंह
12- रामप्रताप सिंह	ग्राम व पो० करमानपुर, बलिया	रामप्रताप सिंह
13- राकेश सिंह	मो० रामबाग, प्रतापगढ़	राकेश सिंह
14- परितोष राम	ग्राम व पो० बहुआरी जागीर, बलिया	परितोष

दिनांक

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसा०
चिट्स, व० म०, वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

श्रीमती शान्ती देवी
CHAIRMAN
Tomar Children School
Sudhipur Shivapur Baipass
VARANASI

K. Singh
Principal
Tomar Children School
Shivpur bypass, Varanasi

Rajesh Kumar
Manager
Tomar Children School
Sudhipur Shivapur Baipass
Varanasi.

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : तोमर शिक्षा समिति
2. संस्था का पता : म0सं0 शि0 15/11-क 5 ए, सुद्धीपुर, शिवपुर, बाईपास, वाराणसी
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

संस्था की सदस्यता निम्नवत होगी ।

अ- आजीवन सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 500/-रु0 नकद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल अचल सम्पत्ति एक बार में देंगें, वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगें ।

ब- सामान्य सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 51/- रु0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रुप में जमा करेगें, वे संस्था का सामान्य सदस्य होंगें ।

स- विशिष्ट सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को विशेष योगदान देंगें, वे व्यक्ति संस्था के 2/3 बहुमत से विशिष्ट सदस्य माने जायेगें ।

5. सदस्यता की समाप्ति : निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी ।

1. किसी सदस्य के मृत्यु होने पर ।
2. किसी सदस्य के पागल या दिवालिया होने पर ।
3. किसी सदस्य के न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।
4. किसी सदस्य के स्वयं लिखित त्याग-पत्र देने पर ।
5. किसी सदस्य के संस्था के विरुद्ध हानिकारक कार्य करने पर ।
6. किसी सदस्य के निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा न करने पर ।

6. संस्था के अंग : संस्था के दो अंग होगें -

अ- साधारण सभा   ब- प्रबंधकारिणी समिति

7. साधारण सभा

अ- गठन : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम नं0 चार के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा ।

ब- बैठकें : साधारण सभा के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलायी जा सकती है ।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी

विलेख कर्ता
निशान कर्ता

Manager
Tomar Children School
Shivpur Bypass Road

Tomar Children School
Shivpur bypass, Varanasi

अविनाश कुमार सिंह   अभिषेक कु० सिंह   राजेश कुमार सिंह   श्रीमती शान्ती देवी

Manager
Tomar Children School
Sudhipur Shivapur Baipass
Varanasi.

Principal
Tomar Children School
Shivpur bypass, Varanasi

(9)

स- सूचना अवधि : साधारण सभा के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रुप से दी जायेगी ।

द- गणपूर्ति : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों के कम से कम 2/3 उपस्थिति में साधारण सभा के सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी ।

य- वार्षिक अधिवेशन : संस्था का वार्षिक अधिवेशन 26 जनवरी के अवसर पर हर वर्ष हुआ करेगा ।

र- साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. संस्था के गत वर्ष के बजट एवं कार्यकलापों आदि पर विचार करना तथा आगामी वर्ष के लिये स्वीकृति प्रदान करना।
2. प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव नियमानुसार कराना ।
3. प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव पर विचार कर उसे स्वीकृत करना ।
4. संस्था के नियमों एवं विनियमो मे नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन हेतु स्वीकृत प्रदान करना ।

8. प्रबंधकारिणी समिति:-

अ- गठन : साधारण सभा के 2/3 बहुमत से प्रबंधकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक, उपप्रबंधक, मंत्री, आय-व्यय निरीक्षक, कोषाध्यक्ष, के अलावा 7 प्रबंधसमिति के सदस्य होंगे ।

ब- बैठकें : प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

स- सूचना अवधि : प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 7 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से एक दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रुप से दी जायेगी ।

द- गणपूर्ति : प्रबंधकारिणी समिति के सभी सदस्यो, पदाधिकारियों के कम से कम दो तिहाई उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी ।

सत्य प्रतिलिपि

हस्ताक्षर ... Manager
Tomar Children School
Shivpur By Pass Road
Varanasi

अभिनय कुमार सिंह   आशीष कु. सिंह   राजेन्द्र कुमार सिंह   श्रीमती शान्ती देवी

K. Singh
Principal
Tomar Children School
Shivpur bypass, Varanasi

Rajesh Kumar Pal
Manager
Tomar Children School
Shivpur Shivapur Baipass
Varanasi.

य- रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबंधकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारी या सदस्य का स्थान रिक्त होने पर प्रबंधसमिति के 2/3 बहुमत से शेष अवधि के लिए साधारण सभा के सदस्यों में से किसी भी योग्य व्यक्ति का चुनाव कर लिया जायेगा।

र- प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. संस्था के बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकृत करना।
2. संस्था को सुचारु रुप से संचालित हेतु उपसमितियों का गठन करना।
3. संस्था के लिये अनुदान, दान, ऋण, चन्दे आदि प्राप्त करना।
4. संस्था के लिये चल-अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा देख रेख करना।
5. अन्य सभी कार्यों का संचालन करना जो संस्था के हित में आवश्यक हो।

ल- कार्यकाल : प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रुप से 5 वर्ष का होगा।

9. प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष :-
1. संस्था के साधारण सभा एंव प्रबंधकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत होने पर एक अलग से निर्णायक मत देना।
3. बैठक करने के लिए प्रबंधक की राय से दिनांकों का अनुमोदन करना तथा उसमें परिवर्तन करना।
4. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार उसे मान्य होंगे।

उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त अधकारों का प्रयोग करना तथा उसके निर्देशों का पालन करना।

प्रबंधक :-
1. संस्था के लिये अनुदान, दान, चन्दे आदि को प्राप्त करना तथा उसके लिये यथाविधि रसीदें देना।
2. बैठक करने के लिये सभी सदस्यों को सूचनायें जारी करना तथा बैठक में की गयी कार्यवाही को लिखना/लिखाना।
3. सदस्यता रसीद पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।

सत्य प्रतिलिपि

श्रीमती कृष्णा सिंह K. Singh अभिषेक कुमार सिंह राजेश कुमार सिंह श्रीमती शान्ती देवी Rajesh Kumar Singh

Manager
Tomar Children School

K. Singh
Principal
Tomar Children School
Shivpur bypass, Varanasi

Rajesh Kumar Singh
Manager
Tomar Children School
Sudhipur Shivapur Baipass
Varanasi.

4. आवश्यकतानुसार सामान्य एवं विशेष आवश्यक बैठक बुलाना, कोरम के अभाव में बैठकें स्थगित करना ।
5. संस्था के संबंधित कागजातों के वेतन, वेतनवृद्धि तथा अन्य देय धनराशि आदि का भुगतान स्वीकृत करना ।
6. वैतनिक कर्मचारियों के वेतन, वेतनवृद्धि तथा अन्य देय धनराशि आदि का भुगतान स्वीकृत करना ।
7. वैतनिक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ।
8. संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना ।
9. आय व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करवाना तथा आडिट कराना ।
10. समय-समय पर संस्था के हित में आवश्यक सुझाव देना।
11. आकस्मिक व्यय के लिये अपने पास 1000/- रु0 तक रखना ।
12. संस्था के ओर से पत्र व्यवहार करना ।
13. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होंगे ।

उपप्रबंधक :- प्रबंधक के अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा उनके निर्देशों का पालन करना ।

मंत्री :-
1. प्रबंधक के अनुमति से बैठक करने के लिये सूचनायें देना ।
2. कोषाध्यक्ष के साथ संस्था के आय व्यय का विवरण तैयार करना ।
3. संस्था के कार्यों की देख रेख करना ।
4. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार प्रबंधक द्वारा सौंपे जायें ।

कोषाध्यक्ष :-
1. संस्था के निधियों एवं सम्पत्तियों के लेखे को तैयार करना ।
2. आय-व्यय का हिसाब-किताब तैयार करना ।
3. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार उन्हें अध्यक्ष एवं प्रबंधक द्वारा सौंपे गये हों ।

सत्य प्रतिलिपि

K. Singh
Principal
Tomar Children School
Shivpur bypass, Varanasi

Rajesh Kumar Singh
Manager
Tomar Children School
Sudhipur Shivapur Baipass
Varanasi.

66

आय-व्यय निरीक्षक :- समय-समय पर संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण करना तथा उसकी रिपोर्ट प्रबंधक को देना ।

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-
साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा ।

11. संस्था का कोष :- किसी भी स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था का समस्त धनराशियों को जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबंधक के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा ।

12. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :-
संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में संस्था के आय व्यय निरीक्षक द्वारा संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा ।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :-
संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण दायित्व प्रबंधक पर होगा ।

14. संस्था के अभिलेख :- संस्था के अभिलेख निम्नलिखित होंगे ।
1. कार्यवाही रजिस्टर
2. सदस्यता रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. कैश बुक आदि होंगे ।

15. संस्था का विघटन :- संस्था के विघटन तथा विघटित सम्पत्ति निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

16. प्रतिबंध :-
क- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
ख- विद्यालय के प्रबंधसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
ग- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के

सत्य प्रतिलिपि

K. Singh
Principal
Tomar Children School
Shivpur bypass, Varanasi

अभिनाश कुमार सिंह   आशीष कुमार सिंह   राजेश कुमार सिंह   श्रीमती शान्ति देवी

Rajesh Kumar Singh
Manager
Tomar Children School
Sudhipur Shivapur Baipass
Varanasi.

लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा ।

घ- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग
नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा
परिषद में मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल
बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली कौंसिल फार दी
इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली में से
प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने
की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान
स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

ङ- संस्था के शिक्षण शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय
सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य
वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते
नहीं दिये जायेंगे ।

च- कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हें सहायता
प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों
को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध करायें जायेंगें ।

छ- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश
निर्गत किये जायेंगें संस्था उनका पालन करेगी ।

ज- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा
यदि । हो तो कृपया प्रबंधकारिणी का इस आशय का प्रस्ताव
संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध
क्रम 1 से 8 तक स्वीकार हैं ।

सत्य-प्रतिलिपि हस्ताक्षर..................

दिनांक..................

अभिषेक कुमार सिंह राजेश कुमार सिंह श्रीमती शान्ती देवी

Principal
Tomar Children School
Shivpur bypass, Varanasi

Manager
Tomar Children School
Shivpur By Pass Road
Varanasi

K. Singh
Principal
Tomar Children School
Shivpur bypass, Varanasi

Rajesh Kumar Singh
Manager
Tomar Children School
Sudhipur Shivapur Baipass
Varanasi.